राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लाट नं. 6, एवरेस्ट कॉलोनी, एपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर।
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

द्वारा ई–मेल, अत्यावश्यक।

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / संस्था. / 2020 / 662 दिनांकः 16/4/2020

प्रधानाचार्य,
समस्त सम्बद्ध पैरामेडिकल महाविद्यालय / संस्थान,
राजस्थान।

विषयः– कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण एवं देश–व्यापी लॉक–डाऊन के कारण अभ्यर्थियों को ऑन–लाईन अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित कर लेख है कि भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों (Advisory) के अनुसार सम्पूर्ण देश में दिनांक 03 मई, 2020 तक लॉक–डाऊन की अवधि बढ़ा दी गई है। जिसके तहत समस्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों इत्यादि शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन–अध्यापन कार्य की अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

आपको विदित है कि कौंसिल द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं गत वर्षों के शैक्षणिक सत्रों की परीक्षाओं के आयोजन एवं परीक्षा परिणाम विलम्बित हैं। कौंसिल द्वारा भरपूर प्रयास किये जा रहे है कि समस्त गत शैक्षणिक सत्रों की परीक्षायें आयोजित कर आगामी सत्रों के अध्ययन एवं परीक्षा का नियमितिकरण किया जाये। इसके लिये मुख्य परीक्षाओं के साथ–साथ गत सत्रों की रिमाण्डेड / पूरक परीक्षाओं का आयोजन भी सत्र 2017–18 से निरन्तर करवाया जा रहा है। अनेक शैक्षणिक संस्थान अपने विद्यार्थियों को ऑन–लाईन माध्यम से अध्यापन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं।

अतः राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल सम्बद्ध समस्त पैरामेडिकल कॉलेज / संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त लॉक–डाऊन अवधि अथवा इसके पश्चात् सरकार द्वारा जो भी निर्णय किया जावें, के तदन्तर व्यापक छात्र हित को देखते हुए डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के प्रथम एवं द्वितीय वर्षों के सैद्धान्तिक विषयों का अध्ययन ऑन–लाईन कॉलेज / संस्थान की वेबसाईट पर निर्धारित सिलेबस अनुसार दैनिक अध्ययन सामग्री एवं टेस्ट लिये जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जावें। साथ ही, प्रत्येक अध्ययनरत छात्र को दूरभाष अथवा व्हाटस् –अप के माध्यम से निर्धारित समयावधि में ऑन–लाईन अध्ययन के लिये सूचित किया जाये। इसके लिये आपके कॉलेज / संस्थान में अध्यापन कार्य कर रहे फैकल्टीज् एवं सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा घर पर रहते हुए ही यह कार्य आपके मार्गदर्शन में पूर्ण करवाया जायें, जिससे लॉक–डाऊन के अवधि में भी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध हो सके एवं इसके कारण सत्रीय अध्ययन समय से पूर्ण हो सके। ऑन–लाईन अध्यापन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की सूचना कौंसिल को आवश्यक रूप से ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करें।

वैश्विक संकट के ऐसे समय में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में आपका पूर्ण समर्पण व सहयोग अपेक्षित है।

16/4/2020
रजिस्ट्रार

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / संस्था. / 2020 / 662 दिनांकः 16/4/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
5. उप परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

16/4/2020
रजिस्ट्रार